राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःप.8(ग)( )(PSKS)अभियान–2021/नियम/डीएलबी/21/ 70110 दिनांकः 29/9/21

आदेश

इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.8(ग)( )(PSKS)अभियान–2021/नियम/डीएलबी/21/ 69171 दिनांक 28.09.2021 को अतिक्रमित करते हुए एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 69–ए एवं इसके अन्तर्गत विरचित नियम Rajasthan Municipalities (Surrender of Non-Agricultural Land and Grant of Freehold Lease) Rules, 2015 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुये फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया जाता हैः–

(i) दिनांक **02.10.1959 से पूर्व से धारित शहर की चार दीवारी क्षेत्र की सम्पतियां– परम्परागत रूप से विकसित पुरानी आबादी/सघन आबादी क्षेत्रों हेतुः–**
   (क) आवासीय/मिश्रित पट्टा–आवेदक मूल आवंटी अथवा उसके विधिक उतराधिकारी होने पर – रूपये 501/– मात्र प्रति पट्टा।
   (ख) व्यावसायिक/संस्थानिक/होटल प्रयोजनार्थ पट्टा– 10/– रूपये प्रति व.मी.। (न्यूनतम रूपये 5000/–)
   (ग) आवेदक मूल आवंटी से भिन्न पश्चातवर्ती क्रेता होने परः– 10/– रूपये प्रति वर्गमीटर। (न्यूनतम रूपये 5,000/–)

(ii) दिनांक 02.10.1959 से पूर्व शहर की चार दीवारी के बाहर का क्षेत्र–
   (क) आवासीय/संस्थानिक/मिश्रित पट्टा आवेदक मूल आवंटी अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारी होने पर – 10/– रूपये प्रति वर्गमीटर। (न्यूनतम रूपये 5,000/–)
   (ख) आवासीय/संस्थानिक/मिश्रित पट्टा– आवेदक मूल आवंटी से भिन्न पश्चातवर्ती क्रेता होने पर 20/– रूपये प्रति वर्गमीटर। (न्यूनतम रूपये 10,000/–)
   (ग) व्यावसायिक/होटल प्रयोजनार्थ पट्टा– 20/– रूपये प्रति वर्गमीटर (न्यूनतम रूपये 10,000/–)

(iii) **(दिनांक 02.10.1959 के पश्चात् से दिनांक 01.01.1992 तक धारित सम्पतियांः– परम्परागत रूप से विकसित पुरानी आबादी/सघन आबादी क्षेत्रों हेतु –(न्यूनतम रूपये 10,000/–)**
   - आवासीय/संस्थानिक प्रयोजनार्थ शुल्क 20/– रूपये प्रतिवर्गमीटर।
   - मिश्रित प्रयोजनार्थ शुल्क 25/– रूपये प्रतिवर्गमीटर।
   - व्यावसायिक/होटल आदि प्रयोजनार्थ शुल्क 50/– रूपये प्रतिवर्गमीटर।

(iv) **गैर–कृषिक खातेदारी भूमि (जिस पर निर्माण हो चुका है), ग्राम पंचायत की आबादी भूमि, ग्रामीण क्षेत्र भूमि रूपान्तरण नियम 1971, 1992 एवं 2007 के तहत जारी संपरिवर्तन आदेशों से संबंधित भूमि एवं नगरीय क्षेत्र भूमि रूपान्तरण नियम, 1981 के तहत् जारी गैर–कृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण आदेश, कस्टोडियन–(न्यूनतम रूपये 20,000/–)**
   - आवासीय/संस्थानिक प्रयोजनार्थ शुल्क 50/– रूपये प्रति वर्गमीटर।
   - मिश्रित प्रयोजनार्थ शुल्क 75/– रूपये प्रति वर्गमीटर।
   - व्यावसायिक/होटल प्रयोजनार्थ शुल्क 100/– रूपये प्रति वर्गमीटर।

(v) **पूर्व राजा–महाराजाओं/उनके परिवार के सदस्यों/पूर्व जागीरदारों द्वारा स्वयं के स्वामित्व की भूमि का भूखण्डों के रूप में दिनांक 02.10.1959 के पश्चात् व दिनांक 01.01.1992 से पूर्व विक्रय किया गया है। (न्यूनतम रूपये 30,000/–)**

Scanned by CamScanner

- आवासीय/संस्थानिक प्रयोजनार्थ शुल्क 50/– रूपये प्रति वर्गमीटर।
- मिश्रित प्रयोजनार्थ शुल्क 100/– रूपये प्रति वर्गमीटर।
- व्यावसायिक/होटल आदि प्रयोजनार्थ शुल्क 150/– रूपये प्रति वर्गमीटर।

नोटः– (i) उपरोक्त सभीश्रेणियों में आवासीय/संस्थानिक/मिश्रित की नियमन राशि अधिकतम 5 लाख रूपये एवं व्यावसायिक/होटल प्रयोजनार्थ की नियमन राशि अधिकतम 10 लाख रूपये होगी।

(ii) मिश्रित से तात्पर्य नीचे दुकान–ऊपर मकान।

(iii) फ्री–होल्ड पट्टे पर कोई लीज राशि वसूलनीय नहीं होगी। 99 वर्षीय लीज डीड/पट्टा/रूपान्तरण आदेश सरेण्डर कर पट्टा प्राप्त करता है तो बकाया लीज राशि एवं 10 वर्षीय एक मुश्त लीज राशि वसूल की जाकर ही पट्टा जारी किया जायेगा। भूमि रूपान्तरण आदेशों में लीज राशि की गणना रूपान्तरण शुल्क की 4 गुना राशि को आवासीय दर मानते हुए 2.5 प्रतिशत एवं व्यावसायिक में 5 प्रतिशत की दर से राशि देय होगी।

(iv) आवेदित प्रकरण में मौके पर उपलब्ध भूखण्ड/भवन का क्षेत्रफल आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्वामित्व दस्तावेजों (प्रूफ ऑफ राइर्टस) से अधिक होने की स्थिति में स्वामित्व दस्तावेजों से अधिक क्षेत्रफल पर आवासीय आरक्षित दर का 10 प्रतिशत या डी.एल.सी. का 10 प्रतिशत जो भी कम हो, राशि वसूल कर सम्पूर्ण भूखण्ड का पट्टा जारी किया जायेगा। यदि अतिरिक्त भूमि किसी संरक्षित स्थल का हिस्सा है तो उसका आवंटन नहीं किया जावेगा।

(v) राजकीय कार्यालय हेतु कोई शुल्क देय नही होगा।

(vi) नजूल सम्पतियों की आवंटन दरें पृथक से राज्य सरकार द्वारा तय की जावेगी।

उपरोक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकःप.8(ग)( )(PSKS)अभियान–2021/नियम/डीएलबी/21/ 70111-70582 दिनांकः 29/9/21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
7. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
8. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
9. अधीक्षक केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान–राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

Scanned by CamScanner